न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/21/2024	2024/148	27.12.2024	09.04.2025

1. महेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामरतन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम भानपुर कलां जयपुर (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश सैन पुत्र जगन्नाथ जाति नाई निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0 हाल निवासी राधे बिहार कॉलोनी टोंक रोड, निवाई, टोंक, राजस्थान।
2. भू—आवंटन/विनियमन सलाहकार समिति अलवर जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपीलप्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री लोकेश कुमार गुप्ता —वकील प्रार्थी
02—श्री कुलदीप चन्द्र सैनी —वकील अप्रार्थीगण 1
03—राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी सं0 2

—:निर्णय:—

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है आराजी साबिक खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2015 आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा तथा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2060 मे आराजी हाल खसरा नम्बर 08 रकबा 1.49 हैक्टर, 09 रकबा 0.08 हैक्टर, 10 रकबा 0.06 हैक्टर कायम किये गये है का आवंटन किया गया है। उक्त आराजी गैर मुमकिन बंजड है। गैर सायल संख्या एक को उपरोक्त आराजी को गलत रूप से आवंटित की गई है जिस आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र हाजा निम्न वजूहात के साथ श्रीमान के समक्ष पेश है। आदेश भू आवंटन कमेटी न्यायिक प्रक्रिया, विधि एवं तथ्यो व पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2015 आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा तथा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2060 मे आराजी हाल खसरा नम्बर 08 रकबा 1.49 हैक्टर, 09 रकबा 0.08 हैक्टर, 10 रकबा 0.06 हैक्टर कायम किये गये है, वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसका आवंटन गैर सायल संख्या 01 को किया गया है, जो आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन कमेटी ने गैर सायला सं. 1 को उपरोक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व उपरोक्त आराजी की बाबत सर्व साधारण की सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नही किया गया तथा न ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तु स्थिति के बारे मे कोई जानकारी की तथा

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मनमाने तरीके से आवंटन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि उपरोक्त आराजी गैर मुमकिन बंजड थी और नाकाबिल काश्त गैर सायल संख्या एक द्वारा उक्त आराजी पर कभी काश्त नहीं की गई है ना ही कभी कब्जा रहा है ना है नाही गैर सायल संख्या एक को मौके पर कब्जा दिया गया है तथा उक्त आराजी नाकाबिल काश्त है एवं गैरसायल सं. 01 आज भी गैरखातेदार है। इस प्रकार गैर सायल संख्या एक के हक मे किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के नियम 5 के प्रावधानो की पालना नही की है। जिसके अर्न्तगत तहसीलदार प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियो सिंचित एवं असिंचित दोनो की सूचि प्रपत्र 1 मे तैयार करेगा और उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो सूचि पंचायत, पंचायत समिति एवं तहसील के कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा भू आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। जिससे भू आवंटन कमेटी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उदघोषणा नहीं की। जिससे भू आवंटन कमेटी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम, 1970 के नियम 7 का उपनियम 2 के प्रावधानो की पालना नही की है, जबकि उदघोषणा मे दो सप्ताह की कालावधि या जनहित मे जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिये जारी की जावेगी, जिस खसरा नम्बर का आवंटन किया जाना है, उस खसरा नम्बर को उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उदघोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। जिसकी पालना भू आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गई। जिससे भू आवंटन कमेटी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन सलाहकार समिति अलवर की आज्ञा एबनिशियो वोईड है, क्योकि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई आवंटन आराजी गैर मुमकिन बंजड अव्वल है जिसकी किस्म भी परिवर्तित नही की जा सकती है, क्योकि गैरमुमकिन बंजड नाकाबिल काश्त है और नाकाबिल काश्त होने के कारण आवंटन नही की जा सकती है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने के पश्चात ना तो आवंटी को कब्जा दिया गया ना ही दखल दिया गया, क्योकि उक्त आराजी नाकाबिल काश्त है और जिसका लगान भी तय नहीं किया जा सकता है। भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम, 1970 के नियम 10 व 11 के प्रावधानो की पालना नही की गई है। भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम, 1970 के नियम 13 के प्रावधानो की पालना नही की गई है, क्योकि वक्त आवंटन भू आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण नही था। जिससे कोरम के अभाव मे भू आवंटन कमेटी का आदेश निरस्तनीय है। प्रस्तुतकर्दा प्रार्थना पत्र भू आवंटन सलाहकार समिति, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान के आवंटन आदेश के विरूद्ध होने से माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। मिन सायल द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद भी आवंटन आदेश की नकल प्राप्त नहीं हुई है और बिना आवंटन आदेश के मिन सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान जर्ये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान का आवंटन आदेश जिसके द्वारा गैर सायल संख्या एक निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान को आराजी साबिक खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2015 आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा तथा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2060 मे आराजी हाल खसरा नम्बर 08 रकबा 1.49 हैक्टर, 09 रकबा 0.08 हैक्टर, 10 रकबा 0.06 हैक्टर कायम हुए है वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राजस्थान का आवंटन किया गया है, को अपास्त/मन्सूख फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर
9.5.25

विद्वान वकील अप्रार्थीगण सं0 1 ने अपने समर्थन में लिखित वहस पेश कर निवेदन किया है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 को भू आवंटन कमेटी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया गया है जो आवंटन अपास्त किए जाने योग्य नही है। आराजी साबिक खसरा नंबर 5 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा जिसके बंदोबस्त संवत 2015 में आराजी खसरा नंबर 5 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा तथा जिसके बंदोबस्त संवत 2060 में आराजी हाल खसरा नंबर 8 रकबा 1.49 है०, खसरा नंबर 9 रकबा 0.08 है०, आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 0.06 है० कायम किए गए है, वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज० में स्थित है जिसका आवंटन गैरसायल संख्या 1 को किया गया है। अप्रार्थी सं० 1 को आवंटन नियमानुसार किया गया है वह किसी भी कारण से निरस्त किए जाने योग्य नही है। भू आवंटन कमेटी द्वारा मिन अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व समस्त कानूनी प्रक्रियाए अपनाई गई है और सारी कानूनी प्रक्रिया अपना कर ही अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया गया है और उक्त आराजी काबिल काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर दखल दिए जाने के पश्चात बदस्तूर काश्त की जा रही है और आज भी मौके पर मिन अप्रार्थी द्वारा काश्त कर रखी है और मौके पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त आराजी पर काश्त की जा रही है और मौके पर मिन अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है और अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी का गैरखातेदार काश्तकार है और अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त वक्त आवंटन से ही बदस्तूर चला आ रहा है। आवंटन कमेटी द्वारा समस्त भू आवंटन नियमों की पालना करके ही मिन अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आवंटन किया है तथा भू आवंटन कमेटी का आदेश अपास्त किए जाने योग्य नहीं है। आवंटन करने से पूर्व भू आवंटन कमेटी द्वारा उपरोक्त आराजी की उद्घोषणा जारी की गई थी और उद्घोषणा जारी होने के पश्चात आवंटन पत्र आमंत्रित किए गए थे जिसमें मिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी के संदर्भ में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और मिन अप्रार्थी को आवंटन हेतु पात्र होने के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया है। भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 7 का उपनियम 2 की अक्षरशः से पालना की गई है। उक्त आराजी सिवायचक भूमि थी और भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन योग्य आराजी होने के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गई थी और आवंटन के पश्चात मिन अप्रार्थी सं० 1 आवंटी को दखल दिया जाकर कब्जा दिया गया और आज भी मौके पर वक्त आवंटन किए जाने के पश्चात आवंटी मिन अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त करता चला आ रहा भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 10 व 11 के प्रावधानो की अक्षरशः पालना की गई है। भू आवंटन कमेटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के प्रावधान के अनुसार भू आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था और कोरम पूर्ण होने के पश्चात ही मिन अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की गई है और बिना आवंटन आदेश के ही प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नही किया है कि उसने आवंटन की नकल हेतु क्या–क्या प्रयास किए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना आवंटन आदेश के निरस्त किए जाने योग्य है जिसे निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं० 1 को किस दिनांक को उक्त आराजी का आवंटन किया गया था, यह कहीं पर भी दर्ज नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की नकल भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी, मिन अप्रार्थी संख्या 1 से रंजिश के कारण गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बेजा तंग व परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे मिन अप्रार्थी संख्या 1 को भारी मानसिक आघात पहुंचा है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से 10,000/–रू०

9.4.25

बतौर स्पेशल कोस्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार गुर्जर का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि विवादित आवंटित आराजी पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा नही होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी सं. 1 को उक्त आराजी आवटित की गयी। हाल आराजी खसरा नंबर 8 रकबा 1.49 है०, खसरा नंबर 9 रकबा 0.08 है०, आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज० में स्थित है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 194 में हाल आराजी खसरा नंबर 8 रकबा 1.49 है०, खसरा नंबर 9 रकबा 0.08 है०, आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी हाल तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज० अप्रार्थी सं. 1 कैलाश पुत्र जगन्नाथ सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर दखल दिए जाने के पश्चात बदस्तूर काश्त की जा रही है और आज भी मौके पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा काश्त काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी का गैरखातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी सिवायचक भूमि थी और भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन योग्य आराजी होने के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गई थी और आवंटन के पश्चात अप्रार्थी सं० 1 आवंटी को दखल दिया जाकर कब्जा दिया गया और मौके पर वक्त आवंटन किए जाने के पश्चात आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी पचास वर्षों से अधिक समय से उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहा है तथा मौके पर भी अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा है जिससे अप्रार्थी सं. 1 खातेदारी का अधिकारी है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा समस्त भू आवंटन नियमों की पालना करके ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आवंटन किया है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है जिससे स्पष्ट होता हो कि भू आवंटन कमेटी द्वारा मिन अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व समस्त कानूनी प्रक्रियाए अपनाई नहीं अपनाई गयी हों। अप्रार्थी सं० 1 को आवंटन नियमानुसार किया गया है, जिसमें हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय यथावत रखा जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी सं. 1 को किया गया आवंटन बहाल किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे एवं बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)